तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/आवेदन संख्या अपील 03/18 अनवान उगराराम बनाम सरकार व दूदाबेरी	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशनुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर दूदाबेरी पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 24.5.18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर दूदाबेरी पर पत्रावली पेश हो। उप खण्ड अधिकारी कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर	

आदेश

24.05.2018 उगराराम उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत बमुकाम अटल सेवा केन्द्र दूदाबेरी पर पेश हुई। अपीलार्थी उगराराम एवं उत्तरदाता संख्या 02 दीपाराम एवं उत्तरदाता संख्या 05 बाबु तथा सरपंच ग्राम पंचायत दूदाबेरी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान की पहचान सरंपच ग्राम पंचायत दूदाबेरी द्वारा दी गई। अपीलार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत दूदाबेरी द्वारा नामान्तकरण संख्या 403 पर पारित आदेश दिनांक 20.11.2002 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि खातेदार गुमनी पुत्री मुलाराम पत्नी पदमाराम की फौतगी पर पारित नामान्तकरण में विधि एवं तथ्यों की भूल की है। संयुक्त खातेदारी भूमि के खातेदारान से कोई जांच किये बिना उक्त नामान्तकरण पारित किया है। खातेदार गुमनी पुत्री मुलाराम पत्नी पदमाराम के जायज वारिस अपीलार्थी एवं उत्तरदाता संख्या 02 से 05 है। अपीलार्थी का सही नाम उगराराम है परन्तु पारित नामान्तकरण में अपीलार्थी का नाम लाभूराम अंकित किया है, जिसे शुद्व करवाने का अपीलार्थी को पूर्ण अधिकार है, इस हेतु अपीलार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत कर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 403 पर पारित आदेश दिनांक 20.11.2002 को निरस्त करवाने एवं	दीपाराम 5 बाबूराम पटवारी सरपंच ग्राम पंचायत दूदाबेरी पं.स.बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तरीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 03/2018 अनवान उगराराम बनाम ग्राम पंचायत दूदाबेरी

अपीलार्थी का सही नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करवाये जाने का निवेदन किया।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को नॉटिस जारी किये गये। सरपंच ग्राम पंचायत दूदाबेरी एवं उत्तरदाता दीपाराम एवं बाबुराम ने लिखित सहमति व्यक्त करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकित नाम लाभूराम के स्थान पर उगराराम पुत्र खेताराम अंकित किये जाने का निवेदन किया है। मजमे आम में दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से न्यायालय को सन्तुष्टी है कि अपीलार्थी उगराराम के नाम पारित नामान्तकरण में लाभूराम पुत्र खेताराम गलत अंकित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत दूदाबेरी द्वारा नामान्तकरण संख्या 403 पर पारित आदेश दिनांक 20.11.2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को आदेश दिये जाते है कि मृतक खातेदार गुमनी पुत्री मुलाराम पत्नी पदमाराम के वैद्य वारिसान् अपीलार्थी उगराराम पुत्र खेताराम का नाम नामान्तकरण में लाभूराम पुत्र खेताराम अंकित किया गया है, के स्थान पर उगराराम पुत्र खेताराम संशोधन करते हुए अन्य सहखातेदारों के साथ सम्मिलित कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित करावे तथा समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करें। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner